जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड

खनिज भवन, उद्योग भवन परिसर तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005
दूरभाष 0141–5192101 / 2385791

प्रेस नोट–02 सितम्बर, 2013

जयपुर मेट्रो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक

शैड्यूल ऑफ पावर्स का अनुमोदन, वार्षिक साधारण सभा 27 सितम्बर को,

जयपुर, 02 सितम्बर। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) की 16 वीं बैठक शुक्रवार को यहां खनिज भवन में सीएमडी श्री निहालचंद गोयल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बोर्ड द्वारा बैठक में वर्ष 2012–13 के आय व्यय के वार्षिक लेखों, महाप्रबंधक से निदेशक स्तर तक के अधिकारियों के शैड्यूल ऑफ पावर्स, अनुबंध की सामान्य शर्तों, प्रोबेशन काल में मेट्रो के कार्मिकों को मोबाईल पुनर्भरण, वर्दी व आवास की सुविधा मुहैया कराने सहित महत्वपूर्ण प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। बोर्ड ने जयपुर मेट्रो की वार्षिक साधारण सभा की बैठक 27 सितम्बर को आयोजित करने को भी मंजूरी प्रदान की।

बैठक के बाद सीएमडी ने जानकारी दी कि जयपुर मेट्रो की ऑडिट कमेटी ने गत वित्तीय वर्ष के आय व्यय के लेखों की जांच करने के बाद इन्हें अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल में रखने की सिफारिश की थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में इसका अनुमोदन किया गया। उन्होंने बताया कि जयपुर मेट्रो के महाप्रबंधक से निदेशक तक के स्तर के अधिकारियों के शैड्यूल ऑफ पावर्स का निदेशक मंडल ने अनुमोदन किया है, जिसके लागू होने से मेट्रो के अधिकारियों को त्वरित निर्णय लेने में सुविधा होगी। बैठक में अनुबंध की सामान्य शर्तों का भी अनुमोदन किया गया, जो जयपुर मेट्रो के सभी प्रकार के टेंडर्स पर लागू होगी।

श्री गोयल ने बताया कि चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक के भूमिगत कॉरिडोर के डिजाईन और निर्माण के लिए निविदा प्रस्तावों के परीक्षण की कार्यवाही चल रही है। आगामी दस दिनों में एजेंसी का चयन कर इस कार्य को इसी माह आरम्भ करने योजना है। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी 15 सितम्बर तक मानसरोवर से श्याम नगर स्टेशन तक मेट्रो रेल का 'ट्रायल रन' प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है।

सीएमडी ने बताया कि जयपुर मेट्रो में यात्री किराया निर्धारण के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि किराया निर्धारण के लिए जेएमआरसी को प्राप्त सभी सुझावों को इस कमेटी को भेज दिया गया है। बैठक में यह भी तय किया गया कि जयपुर मेट्रो में जो भी कार्मिक भर्ती किए गए हैं या भविष्य में किए जाएंगे, उनसे यह 'बॉड' (बंध–पत्र) भरवाना आवश्यक होगा कि वे कम से कम तीन साल तक मेट्रो की सेवा में रहेंगे। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि उनके प्रशिक्षण पर मेट्रो जो खर्च करता है, उसका पूरा उपयोग किया जा सके।

बैठक के आरम्भ में सीएमडी ने राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किए गए चार नए निदेशकों जयपुर मेट्रों के निदेशक (प्रोजेक्ट) श्री अश्विनी सक्सेना, निदेशक (ऑपरेशंस एंड सिस्टम) श्री सी. एस. जीनगर, निदेशक (कॉरपोरेट अफेयर्स) श्रीमती सुष्मिता श्रीवास्तव एवं निदेशक (वित्त) श्री संजय सोलंकी का स्वागत किया।

बैठक में निदेशक मंडल के सदस्यगण श्री उमराव सालोदिया, अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन, श्री आर. वेंकटेश्वरन, आवासन आयुक्त, श्री तन्मय कुमार शासन सचिव वित्त (राजस्व), श्री नवीन महाजन, प्रबंध निदेशक, रीको एवं श्री जगरूप सिंह यादव, सीईओ, जयपुर नगर निगम के अलावा दिल्ली मेट्रो के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अतुल गाडगिल एवं मुख्य महाप्रबंधक (इलेक्ट्रिकल्स) श्री एम. के. सिंघल सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।

––––––